(नियम 26)

अुज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सत्यनारायण बनाम शंकरलाल (नागा)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 59 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8.5.23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 8.6.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एव सहायक कलेक्टर माण्डल	
15/6/23	पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत बावलास में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हुकमीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023	

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 59/23 प्रा० पत्र

1– श्री सत्यनारायण S/o श्री उदा जाट निवासी- नागोर तहसील- माण्डल (वगैरा)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री शंकरलाल S/o श्री मांगीलाल जाट निवासी- नागोर तहसील- माण्डल (वगैरा)
(मुताबिक प्रा० पत्र सलंग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 15.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नागोर 2 पटवार हल्का नागोर 2 तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 3570, 3559, 3561, 3565, 3567, 3568, 3569 कुल किता 07 रकबा 2.3269 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगणों के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.23 को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त कारत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नागोर 2 पटवार हल्का नागोर 2 तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 3570, 3559, 3561, 3565, 3567, 3568, 3569 कुल किता 07 रकबा 2.3269 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक नागोर को 900/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानेया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानेया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023